महावीर प्रसाद जैन

5.6.18 पत्रावली अटल सेवा केन्द्र भजगरा मे पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हिंगतला की जमाबंदी संवत 2069-72, खाता सं. नया-पुराना 19-17, खसरान. 517, रकबा 67.14.00 बिघा, वादी और प्रतिवादी सं. 3 लगायत 17 की संयुक्त खातेदारी की है

वादी ने सहखातेदार गोपाल पुत्र बालु जाति माली निवासी हिंगतला से 1/7 हिस्सा 29.8.86 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। जबसे वादी के कब्जेकाश्त में चली आ रही है। उपरोक्त आराजी में माधु, गोपाल, पि. बालु जाति माली हिंगतला के नाम से 2/7 हिस्सा था। किन्तु 2046-49 संवत् में बनी जमाबंदी में गोपाल वल्द बालु का 1/7 हिस्सा के स्थान पर 1/14 हिस्सा कर दिया। इसी अनुसार वादी के नाम नामांतरकरण सं. 112 स्वीकृत कर वादी का 1/14 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि 1/7 हिस्सा दर्ज किया जाता था। अतः वादी का वादवर्णित भूमि में 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया है तथा इसी अनुसार डिक्री जारी करने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी की ओर से श्री महेन्द्रसिंह वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया। उन्होंने वादी के कथनों में सहमति जाहिर की तथा इसी अनुसार डिक्री जारी करने की प्रार्थना की अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा दुरस्ती कर वाद जांच वादी का हिस्सा 1/7 दर्ज किया जावे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तह० सरवाड़ रिकोर्ड में डिकरी अनुसार दुरस्ती की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकैन अपना-2 वहन करें।

निर्णय मज मे आम अजगरा न्याय आपके द्वार शिविर में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड़

(हस्ताक्षर) प्रधान
सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड़

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)